भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2472
दिनांक 10.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

जम्मू और कश्मीर में जल शक्ति योजनाओं का कार्यान्वयन और लंबित भुगतान

2472 श्री गुलाम अली:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) विगत पाँच वर्षों के दौरान, जम्मू और कश्मीर में जल जीवन मिशन (जेजेएम), अटल भूजल योजना, जल शक्ति अभियान: कैच द रेन, नमामि गंगे, राष्ट्रीय जलविज्ञान परियोजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत आवंटित, जारी और प्रयुक्त की गई धनराशि का जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) बकाया भुगतान का ठेकेदार-वार ब्यौरा क्या है और इन बिलों के भुगतान में देरी के कारण तथा उनके निपटान के लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है;
(ग) दर्ज की गई अनियमितताओं, किए गए निरीक्षणों तथा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और
(घ) ऐसे शामिल न किए गए पर्यावासों, जल की कमी वाले क्षेत्रों, लंबित परियोजनाओं तथा उनके पूर्ण होने की समय-सारणी का तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क): भारत सरकार अगस्त 2019 से जम्मू और कश्मीर सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से, देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल कार्यान्वित कर रही है। मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बढ़े हुए परिव्यय के साथ दिसंबर, 2028 तक जेजेएम के विस्तार और जेजेएम 2.0 के तहत ग्रामीण पेयजल आपूर्ति क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पुनर्गठित कार्यान्वयन फ्रेमवर्क को मंजूरी दे दी है।

जेजेएम के तहत, केंद्रीय निधियां केवल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की जाती हैं। इसके अलावा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा जिला-वार निधि आवंटन और इसका अनुरक्षण किया जाता है। जेजेएम के पहले चरण के तहत, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर को 18,514.25 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जिसमें से केवल 6,496.48 करोड़ रुपये आहरित किए गए थे। जेजेएम 2.0 के तहत, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए, संघ राज्य क्षेत्र को 905.74 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें से 116.06 करोड़ रुपये की मूल स्वीकृत राशि संघ राज्य क्षेत्र को जारी की गई है।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर) द्वारा सूचित किए गए अनुसार, जल राज्य का विषय है, और जल संसाधन प्रबंधन की योजना राज्यों द्वारा बनाई तथा कार्यान्वित की जाती है, जिसमें केंद्रीय सरकार अनुपूरक सहायता प्रदान करती है।

पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर में तीन सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, जिससे पुलवामा, जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों को लाभ मिल रहा है। पिछले पांच वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के लिए कोई केन्द्रीय मदद जारी नहीं की गई है। एक राष्ट्रीय परियोजना, शाहपुर कंडी बांध परियोजना, जो जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब के जिलों को लाभान्वित करती है, को पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत वित्तपोषित किया जा रहा है, जिसके लिए पिछले पांच वर्षों के दौरान 277.76 करोड़ रुपये की केंद्रीय मदद जारी की गई है।

इसके अलावा, *जल शक्ति अभियान: कैच द रेन* एक राष्ट्रव्यापी जल संरक्षण अभियान है जिसे विभिन्न केंद्रीय, राज्य और स्थानीय योजनाओं की निधियों के तालमेल से कार्यान्वित किया जाता है, जिसके लिए कोई अलग बजट आवंटन नहीं किया जाता है। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने यह भी सूचित किया है कि अटल भूजल योजना एक प्रायोगिक योजना थी और इसे संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर में कार्यान्वित नहीं किया गया था।

(ख): पेयजल 'राज्य' का विषय है और इसलिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की मदद करती है। परिकल्पित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राज्यों में विभिन्न स्तरों पर अनेक परियोजनाएं साथ-साथ कार्यान्वित की जाती हैं। अत: ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनाओं के अलग-अलग परियोजनाओं/स्कीमों के परियोजना-वार ब्यौरे राज्य सरकार के स्तर पर रखे

जाते हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, ठेकेदारों को लंबित बकाया के ब्यौरे भी शामिल होते हैं।

(ग): 'जल' राज्य का विषय होने के कारण, जेजेएम के तहत घटिया कार्य और वित्तीय अनियमितताओं सहित सवालों/शिकायतों आदि पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर कार्रवाई की जाती है और उनका निपटान किया जाता है। इसके अलावा, क्षेत्र-स्तरीय निगरानी को सुदृढ़ बनाने के लिए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) द्वारा सौंपी गई चार स्कीमों का मासिक निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षणों में निर्माण की गुणवत्ता, समय-सीमा के अनुपालन, योजनाओं की कार्यशीलता और मुद्दों के समाधान का आकलन किया जाता है और निरीक्षण रिपोर्ट जेजेएम-आईएमआईएस पोर्टल पर अपलोड की जाती है।

(घ): अगस्त 2019 में जेजेएम की शुरुआत में, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर में केवल 5.76 लाख (29.9%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। जेजेएम के तहत अब तक लगभग 9.88 लाख और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 18.07.2026 तक, संघ राज्य क्षेत्र के 19.24 लाख ग्रामीण परिवारों में से 15.64 लाख (81.27%) से अधिक परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है। जम्मू और कश्मीर के ग्रामीण परिवारों सहित शेष ग्रामीण परिवारों को कार्यशील नल जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए, मिशन की समय-सीमा दिसंबर 2028 तक बढ़ा दी गई है।

जेजेएम के अंतर्गत, सूखा-प्रवण और जल की कमी वाले क्षेत्रों/अपर्याप्त वर्षा या गैर-भरोसेमंद भूजल स्रोतों वाले क्षेत्रों में नल जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लंबी दूरी से थोक जल अंतरण और क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना तथा कार्यान्वयन के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा, अन्य योजनाओं जैसे वीबी-जी राम जी, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी), वित्त आयोग द्वारा आरएलबी/पीआरआई को सशर्त अनुदान, राज्य योजनाओं, सीएसआर निधियों आदि के सामंजस्य से स्रोत पुनर्भरण जैसे कि समर्पित बोरवेल पुनर्भरण संरचनाएं, वर्षा जल पुनर्भरण, मौजूदा जल निकायों का कायाकल्प, आदि के लिए प्रावधान किए गए हैं।
